मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर ये कार्यकलाप चलाए गए थे । वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमश: 1.4 मिलियन हेक्टेयर तथा 1.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गए । आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम में विस्तार किए जाने की संभावना है । तथापि इस संबंध में मई, 1992 में एक नई योजना पर विचार किया गया था ।

लम्बित परियोजनाओं की मंजूरी

2083. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेकों परियोजनायें मंजूरी के लिए सरकार के विचाराधीन पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाओं को मंजूरी की प्रतीक्षा है ;

(ग) कितनी परियोजनायें छ: महीनों से अधिक अवधि से मंजूरी के लिए लंबित हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि परियोजनाओं की मंजूरी में विलम्ब से देश की विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है ; और

(ड.) यदि हां, तो क्या सरकार परियोजनाओं की मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई प्रभावकारी कदम उठाने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजी गई 1752 परियोजनाओं में से इस समय केवल 65 परियोजनायें लंबित हैं । इनमें से 39 परियोजनायें 20 महीने से भी अधिक समय से लंबित हैं । इसी प्रकार वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त 4,873 परियोजनाओं में से केवल 182 परियोजनाएं लंबित हैं और ये सभी छह मास से कम समय से लंबित हैं ।

(घ) से (ड) केवल उन्हीं मामलों में परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब होता है जिनके संबंध में अपेक्षित आंकड़ और कार्य योजनायें तैयार नहीं होती हैं । अन्यथा पूरे पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य-योजनाएं प्राप्त होने पर ही पर्यावरण के संबंध में तीन मास के अंदर तथा वन भूमि को उपयोग में लाने के मामले में एक साल के भीतर परियोजनाओं पर निर्णय ले लिया जाता है । मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ परस्पर सम्पर्क बनाए रखा जाता है ।

गंगा कार्य योजना

2084. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गंगा के किनारे वाले किन-किन शहरों को गंगा कार्य योजना के अधीन लाया जाएगा ;

(ख) उस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(ग) उन शहरों के प्रदूषण को कितना नियंत्रित किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के इस समय चल रहे पहले चरण के अंतर्गत शामिल किए गए गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों के नाम विवरण में दिए गए हैं । गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) गंगा कार्य योजना के पहले चरण की स्कीमों के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में संभावित अनुमानित व्यय लगभग 130 करोड़ रुपए है ।

(ग) गंगा कार्य योजना के पहले चरण की स्कीमों के पूरा हो जाने पर कुल 873 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशेष जल के अवरोधन, दिशा- परिवर्तन और उपचार किए जाने की आशा है ।

विवरण

गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अंतर्गत शामिल किए गए गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों की सूची

उत्तर प्रदेश

1. हरिद्वार
2. फर्रुखाबाद
3. कानपुर
4. इलाहाबाद
5. मिर्जापुर
6. वाराणसी

बिहार

7. छपरा
8. पटना
8. मौकामा
10. भागलपुर

पश्चिम बंगाल

11. बेहरामपुर
12. नवद्वीप
13. हुगली-चिनसूरा
14. चन्दरनगर
15. भाटपारा
16. बैरकपुर
17. सेरामपुर
18. टीटागढ
19. पानीहाटी
20. कामरहाटी
21. बारानगर
22. बाली
23. हावड़ा
24. नईहाटी
25. कलकत्ता

Programmes of biodiversity treaty

2085. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) what follow-up programmes Government propose to take in respect of biodiversity treaty ;

(b) whether it is a fact that Article 4 of the treaty stipulates that [illegible] emission level of carbon dioxide should be retrained at the level of 1990 over the period upto the year 2000 ;

(c) whether Government are contemplating any major changes in industrial development strategy ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) A Convention on Biological Diversity was signed by over 150 countries, including India, during the United Nations Conference on Environment and Development at Rio de Janeiro, Brazil, from June 3—14, 1992. The follow-up action in India will focus mainly on dissemination of information about the contents of the Convention, consultations with other Ministries, Departments and agencies at the Central and State levels and with experts and non-governmental organizations, preparation and implementation of programmes for the conservation of biological diversity in the country and necessary steps towards checking unrestricted access to biological resources, including genetic resources.

(b) Article 4 of the aforesaid Convention on Biological Diversity deals with the "jurisdictional scope" of the provisions of the Convention and does not deal with carbon dioxide emissions.

(c) No such proposal is under consideration in the context of the Convention on Biological Diversity.

(d) Does not arise.